**बिहार सरकार**

**जल संसाधन विभाग**

पत्र सं0–सिं0 / को0–179 / 2010– / पटना, दिनांक–

प्रेषक,

राकेश कुमार,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),
निदेशक, क्रय एवं सामगी प्रबंधन,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः ई–टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रण के क्रम में जल संसाधन विभाग के विभिन्न प्रमण्डलों / कार्यालयों द्वारा सम्वेदक से प्राप्त परिमाण–विपत्रों के मूल्य (बेल्ट्रॉन के सेवा–शुल्क सहित) के लोक लेखा शीर्ष **K-8782-00-102-0001** के अन्तर्गत जमा की गई राशि मे से बेल्ट्रॉन सेवा शुल्क की राशि की लोक लेखा व्यय शीर्ष **L-8782-00-102-0001** से निकासी कर बेल्ट्रॉन को सेवा–शुल्क के रूप में भगुतान कर महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित लेखा को अन्तरण प्रविष्टि के आधार पर सुधार करते हुए सबंधित माह का संशोधित (पुनरीक्षित लेखा) महालेखाकार कायालय को समर्पित करने के संदर्भ में ।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक–317 दिनांक 09.06.2014 एवं वरीय उप महालेखाकार, बिहार, पटना का अर्द्ध सरकारी पत्र सं0–WM-III-1083 दिनांक–08.01.2016।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि जल संसाधन विभाग के विभिन्न प्रमण्डलों / कार्यालयों द्वारा ई–टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रण के क्रम में संवेदक से प्राप्त परिमाण विपत्रों के मूल्य (बेल्ट्रॉन के सेवा–शुल्क सहित) के लोक लेखा शीर्ष–**K8782-00-102-0001** के अन्तर्गत जमा की गई राशि में से बेल्ट्रॉन सेवा–शुल्क की राशि की लोक लेखा व्यय शीर्ष **L-8782-00-102-0001** से निकासी कर सेवा–शुल्क के रूप में बेल्ट्रॉन को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वरीय उप महालेखाकार, बिहार, पटना के प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि विभिन्न कार्य प्रमण्डलों द्वारा दिनांक 01.07.2010 से दिनांक 31.05.2013 के बीच की अवधि में बेल्ट्रॉन सेवा–शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को प्राप्ति शीर्ष राजस्व (0700 या 0701) के अन्तर्गत लेखांकित करते हुए एवं उक्त राशि को चालान के माध्यम से प्रेषण शीर्ष 8782 में प्रेषित करते हुए मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त कराई गई है ।

**ज्ञातव्य हो कि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय के परामर्शानुसार सरकारी खजाने मे प्रेषण शीर्ष 8782 के अन्तर्गत प्रेषित की गई राशि की पुनः निकासी तभी की जा सकती है जबकि उक्त राशि का लेखांकन प्राप्ति शीर्ष सिविल जमा 8443 के अन्तर्गत किया गया हो।** इस संदर्भ में वरीय उप महालेखाकार, बिहार, पटना के प्रासंगिक पत्र द्वारा परामर्श दिया गया है कि बेल्ट्रॉन के सेवा–शुल्क की राशि को प्रमंडलीय लेखा में मुख्य शीर्ष 8443 के अन्तर्गत लेखांकित की जानी चाहिए जिसका प्रेषण कोषागार को चालान के माध्यम से शीर्ष 8782 में डेबिट करते हुए प्रेषित की जानी चाहिए। जब उक्त

कृ0पृ0उ0.............

राशि का भुगतान बेल्ट्रॉन को की जाएगी तब प्रमंडलीय लेखा में मुख्य शीर्ष 8443 में भुगतान दिखाया जाना चाहिए तथा कोषागार को चेक निर्गत करते हुए प्रेषण शीर्ष 8782 में क्रेडिट की जानी चाहिए। महालेखाकार कार्यालय द्वारा सुझाव दिया गया है कि यदि जल संसाधन विभाग के प्रमण्डलों द्वारा पूर्व में उपरोक्त उल्लेखित लेखांकन से भिन्न लेखाकरण की गई है तो उपरोक्त वर्णित लेखांकन के अनुसार सबंधित माह का पुनरीक्षित लेखा महालेखाकार कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय क्योंकि उक्त प्रमण्डलों का लेखा महालेखाकार कार्यालय द्वारा आपत्ति में रखा गया है ।

महालेखाकार कार्यालय के प्रासंगिक पत्र में दिए गए सुझाव के आलोक में वित्त विभाग से भी परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा वरीय उप महालेखाकार, बिहार, पटना के उपरोक्त उल्लेखित अर्द्ध–सरकारी पत्र में दिए गए सुझाव के अनुरूप दिशा–निर्देश कार्य प्रमण्डलों को निर्गत करने का परामर्श दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि तत्काल सबंधित कार्य प्रमण्डलों को प्रासंगिक पत्र में दिए गए निदेश के आलोक में बेल्ट्रॉन को सेवा–शुल्क भुगतान करने हेतु निम्न प्रकार प्रमंडलीय लेखा संधारित/संशोधित कर संबंधित माह का लेखा, महालेखाकार कार्यालय को समर्पित करने का निदेश दिया जायः–

1) जब प्रमण्डल को राशि प्राप्त हो रही हो–

**Credit 8443** सिविल जमा

**Debit 8782** प्रेषण ।

2) जब प्रमण्डल द्वारा राशि भुगतान की जा रही हो–

**Debit 8443** सिविल जमा

**Credit 8782** प्रेषण ।

कृपया उपरोक्त निदेश का अनुपालन अविलंब सुनिश्चित कराया जाय ताकि संबंधित प्रमण्डलों का मासिक लेखा, जिसे महालेखाकार द्वारा आपत्ति में रखा गया है उसे समायोजित कराया जा सके ।

जिन प्रमण्डलों द्वारा विभागीय प्रासंगिक पत्र के आलोक में बेल्ट्रॉन को सेवा–शुल्क का भुगतान अब तक नहीं किया गया है उन्हें अविलम्ब निदेशानुसार भुगतान की कार्रवाई करने एवं महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के उपरोक्त उल्लेखित परामर्श के अनुसार मासिक लेखा संधारित कर महालेखाकार कार्यालय को समर्पित करने का निदेश देने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक–यथोक्त् ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(राकेश कुमार)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या– 268 /पटना, दिनांक– 11/04/16

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को पत्र विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

अनु0–यथोक्त् ।

Kumar 11/04/16

(राकेश कुमार)

सरकार के उप सचिव ।

**Mukesh Kumar Lal**, IA & AS
Sr. Dy. Accountant General

व० उप महालेखाकार
कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार
Sr. Deputy Accountant General
Office of the Accountant General (A & E), Bihar
अर्ध.शा.पत्र सं./ D. O. No - WM-III-1083
दिनांक/Date : 8.1.2016

प्रिय, श्री अरुण सा.

मैं आपका ध्यान जल संसाधन विभाग के पत्र संख्या सि0को0179/10-317 दिनांक -09.06.2014 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसके द्वारा दिनांक 1.7.2010 से 31.5.2013 के बीच की अवधि में ई0 टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रण के कम में जल संसाधन विभाग के विभिन्न प्रमंडलों/ कार्यालयों द्वारा सम्वेदक से प्राप्त परिमाण विपत्र के मूल्य (बेल्ट्रॉन के सेवा शुल्क सहित) के लोक लेखा शीर्ष -8782-00-102-0001 के अन्तर्गत जमा की गई राशि मे से बेल्ट्रॉन सेवा शुल्क की राशि को लोक लेखाशीर्ष 8782-00-102-0001 से निकासी कर बेल्ट्रॉन को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। फलतः जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्य प्रमंडलों द्वारा दिनांक 1.7.2010 से 31.5.2013 के बीच की अवधि मे बेल्ट्रॉन सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को प्राप्ति शीर्ष राजस्व (0700 या 0701) के अन्तर्गत लेखांकित करते हुए एवं उक्त राशि को चालान के माध्यम से प्रेषण शीर्ष 8782 में प्रेषित करते हुए मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त कराई गई थी।

ज्ञातव्य हो कि सरकारी खजाने में प्रेषण शीर्ष 8782 के अन्तर्गत प्रेषित की गई राशि की निकासी पुनः ऐसे मामले मे की जा सकती है जबकि उक्त राशि का लेखांकन प्राप्ति शीर्ष सिविल जमा 8443 के अन्तर्गत किया गया हो। प्रासंगिक मामले में कार्य प्रमंडलों द्वारा राशि का लेखांकन प्राप्ति शीर्ष राजस्व (0700 या 0701) के अन्तर्गत किया गया है इसलिए राशि की निकासी शीर्ष 8782 से नही की जा सकती है। कार्य प्रमंडलों द्वारा शीर्ष 8782 के अन्तर्गत

चेक के माध्यम से कोषागार से आवंटन के आधार पर निकासी की जा सकती है एवं ऐसे मामले में व्यय किसी व्यय शीर्ष पर ही भारित होगा।

विभिन्न कार्य प्रमंडलों द्वारा महालेखाकार कार्यालय को समर्पित मासिक लेखों के संकलन के दौरान यह देखा जा रहा है कि जल संसाधन विभाग के पत्र सं0- सि0-को0 179/10-317 दिनांक 9.6.2014 के आलोक में प्रमंडल द्वारा राशि सीधे शीर्ष 8782 से चेक के माध्यम से निकासी कर बेल्ट्रॉन को भुगतान किया जा रहा है (अर्थात व्यय को सिविल जमा 8443 अथवा व्यय शीर्ष के अन्तर्गत भारित नही किया जा रहा है) जो नियमानुकूल नही है। आलोच्य मामले में बेल्ट्रॉन के सेवा शुल्क की राशि को प्रमंडलीय लेखा में मुख्य शीर्ष 8443 के अन्तर्गत जमा की जानी चाहिए जिसका प्रेषण कोषागार को चालान के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8782 में Debit करते हुए प्रेषित की जानी चाहिए। जब उक्त राशि का भुगतान बेल्ट्रॉन को की जायेगी तो प्रमंडलीय लेखा मुख्य शीर्ष 8443 में भुगतान दिखाया जाना चाहिए तथा कोषागार को cheque निर्गत करते हुए प्रेषण शीर्ष 8782 में Credit की जानी चाहिए। अर्थात :-

1. जब प्रमंडल को राशि प्राप्त हो रही हो

   Credit 8443 सिविल जमा

   Debit 8782 प्रेषण

2. जब प्रमंडल द्वारा राशि भुगतान की जा रही हो

   Debit 8443 सिविल जमा

   Credit 8782 प्रेषण

अतः तत्काल संबंधित कार्य प्रमंडलो जिसके द्वारा बेल्ट्रॉन को भुगतान करते हुए लेखा इस कार्यालय को भेजा गया है को नियमानुसार अन्तरण प्रविष्टि के आधार पर सुधार करते हुए संशोधित लेखा महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करने का अनुरोध किया जा रहा हैं क्योंकि उक्त प्रमंडल का लेखा आपत्ति में रखा गया है एवं ऐसे लेखाओं की संख्या बढ रही है।

यह अनुरोध होगा कि बेल्ट्रॉन को भुगतान करने हेतु संशोधित आदेश/स्वीकृति संबंधित कार्य प्रमडलो को देने की कृपा करेंगें तथा यह सुनिश्चित की जाय कि सम्बन्धित प्रमंडलों द्वारा पूर्व में यदि उपरोक्त लेखांकन से भिन्न लेखाकरण की गयी है तो उपर वर्णित लेखांकन के अनुसार सम्बंधित माह का पुनरीक्षित लेखा महोलखाकार कार्यालय को सर्मपित करें एवं पुनरीक्षित लेखा सर्मपित करने के उपरान्त ही बेलट्रॉन को भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

ह०/-

भवदीय

(हस्ताक्षर)

1. श्री अरूण कुमार सिंह,
सचिव
जल संसाधन विभाग
बिहार सरकार पटना।

2. श्री राहुल सिंह
सचिव, व्यय
वित्त विभाग
बिहार सरकार पटना।